संख्या–1413 /सेक–2–पॉच–2011–7(216)/2010

प्रेषक,

नीता चौधरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 14 मार्च, 2011

विषयः–जनपद स्थित जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1215/सेक–2–पांच–11–7(216)/2010 दिनांक 03 मार्च, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये थे। शासन के स्पष्ट दिशा–निर्देशों के बावजूद यह देखने में आया है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए जिस संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्यवाही की अपेक्षा की गई थी, इसमें कतिपय अधिकारियों/चिकित्सालयों द्वारा कोताही बरती गई है। शासन द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है।

2– अतः उक्त के संबंध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त जनपदों, तहसीलों व विकास खण्ड स्तर पर इस समय विभिन्न संगठनों द्वारा आन्दोलन आदि किये जा रहे हैं तथा प्रदेश में कानून–व्यवस्था की विषम स्थिति में आम जनता को समय से चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संबंधित जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त सतर्कता बरतते हुए चिकित्सकों की उपलब्धता/चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3– यह भी निदेशित किया जाता है कि अपने कार्यालय/चिकित्सालय के कर्मचारियों के माध्यम से अभिसूचना भी एकत्रित की जाय तथा उसकी सूचना जिला प्रशासन को भी दी जाय। यदि शान्ति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित जिलाधिकारी को दिया जाय ताकि प्रभावी कार्यवाही हो सके।

4– उक्त के अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी कार्ययोजना प्रत्येक जनपद में पूर्व से ही विद्यमान है। उक्त कार्ययोजना में निहित दिशा–निर्देशों/व्यवस्थाओं के कियान्वयन की जिम्मेदारी मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक एवं जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी की है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(नीता चौधरी) 14.3.11
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1413 (1)/सेक–2–पॉच–2011 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्तानुसार दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन अपने से संबंधित मण्डलों में सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

15/3/11

(राज किशोर यादव),

विशेष सचिव।